भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3809
दिनांक 12 अगस्त, 2025 /21 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

राजस्थान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी

3809. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा चलाए गए अभियान में राजस्थान के भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित बाड़मेर जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का पता चला है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) भावी पीढ़ी को नशे की लत से बचाने के लिए मादक पदार्थों और अन्य स्वापक औषधियों के उत्पादन और अवैध तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कड़े कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले 10 वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरूद्ध की गई कार्रवाई और बाड़मेर जिले में जब्त किए गए मादक पदार्थों की मात्रा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): स्वापक नियंत्रण ब्यूरो जोधपुर जोनल यूनिट और राजस्थान पुलिस ने संयुक्त रूप से दिनांक 08.07.2025 को एक अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप बाड़मेर जिले के गांव-ढोलकिया में एक गुप्त मेफेड्रोन (एमडी) निर्माण इकाई का पता चला। इस संयुक्त अभियान में एक पूरी तरह कार्यात्मक अवैध मेफेड्रोन लैब की जानकारी मिली तथा राजस्थान पुलिस द्वारा स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत एक मामला दर्ज किया गया और इस संबंध में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा राजस्थान के बाड़मेर जिले में सितंबर, 2024 में मेफेड्रोन के उत्पादन के लिए इस्तेमाल की जा रही एक मादक पदार्थ निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया गया तथा वहां से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। डीआरआई द्वारा 06.11.2024 को एनडीपीएस विशेष न्यायालय, बाड़मेर के समक्ष स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज की गई है।

(ग): सरकार ने भावी पीढ़ी को नशे की लत से बचाने के लिए मादक पदार्थों के उत्पादन और तस्करी तथा अवैध व्यापार को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं :-

(i) एक चार-स्तरीय नार्को-समन्वय केंद्र (एनकॉर्ड) तंत्र का गठन किया गया है, जो केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करता है।

(ii) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की स्थापना की गई है, जो स्थानीय स्तर पर प्रवर्तन के लिए एनकॉर्ड सचिवालय के रूप में भी कार्य करती है।

(iii) मादक पदार्थों की बड़ी जब्ती की जांच की निगरानी करने के लिए महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की अध्यक्षता में एक संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) का गठन किया गया है।

(iv) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत सीमा सुरक्षा बलों और रेलवे सुरक्षा बल को सीमाओं पर और रेल मार्गों पर प्रवर्तन के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(v) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), नौसेना, तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल और राज्य एएनटीएफ, आदि जैसी अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर समन्वय करता है, ताकि संयुक्त मादक पदार्थ-रोधी अभियान चलाए जा सकें।

(vi) बंदरगाहों पर मादक पदार्थों का पता लगाने के लिए कंसाइनमेंट की इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग की जा रही है।

(vii) क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) के अधिकारियों को निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करता है।

(viii) पात्र राज्यों को "राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता" योजना के तहत उनकी मादक पदार्थ-रोधी इकाइयों को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(ix) जाँच और सक्रिय पुलिस व्यवस्था में सहायता करने के लिए गिरफ्तार नार्को-अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (निदान) पोर्टल शुरू किया गया है।

(x) मादक-पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र (मानस) - कॉल, एसएमएस, चैटबॉट, ईमेल या वेब के माध्यम से मादक पदार्थों से संबंधित मामलों की सूचना देने के लिए एक 24x7 टोल-फ्री हेल्पलाइन (1933) स्थापित की गई है।

(xi) मादक पदार्थों की मांग को कम करने के लिए, एनसीबी ने मिशन स्पंदन की शुरुआत की है। आध्यात्मिक जागरूकता और सामूहिक कार्यों के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग और मनःप्रभावी पदार्थों की लत से निपटने के लिए 05 संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(xii) 10,000 से अधिक मास्टर स्वयंसेवकों के माध्यम से देश के सभी जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) शुरू किया गया। यह 5.51 करोड़ से अधिक युवाओं और 3.43 करोड़ महिलाओं सहित 16.49 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुँच चुका है।

(xiii) सरकार देश भर में 352 एकीकृत व्यसन पुनर्वास केंद्रों (आईआरसीए), 46 समुदाय आधारित पीयर लेड इटर्वेंशन (सीपीएलआई) केंद्रों, 75 आउटरीच और ड्रॉप इन केंद्रों (ओडीआईसी), 148 व्यसन उपचार सुविधाओं (एटीएफ) और 138 जिला नशा मुक्ति केंद्रों (डीडीएसी) को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

(xiv) नशामुक्ति हेतु एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14446 संचालित है, जो मदद चाहने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल सहायता प्रदान करती है।

(घ): स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा मादक पदार्थों की जब्ती का जिला-वार ब्योरा नहीं रखा जाता है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं :-

(i) अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए, पड़ोसी देशों के साथ महानिदेशक स्तर की वार्ता आयोजित की गई है।

(ii) सीमा रक्षक बलों (बीएसएफ, असम राइफल्स और एसएसबी) को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के लिए तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया गया है।

(iii) भारत ने स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) और रासायनिक प्रीकर्सर की अवैध तस्करी तथा उनसे संबंधित अपराधों से निपटने के लिए 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और पड़ोसी देशों जैसेकि म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान और नेपाल सहित 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(iv) सीमा पर ड्रोन की गतिविधियों का पता लगाने के लिए ड्रोन रोधी प्रणालियाँ तैनात की गई हैं।

(v) भारतीय तटरक्षक बल को तटीय और समुद्र के भीतरी क्षेत्रों में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत अधिकार दिया गया है।

(vi) तटरक्षक बल मादक पदार्थों की तस्करी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए एनसीबी और बंदरगाह प्राधिकरणों को प्रशिक्षण भी देता है।

*****